संख्या-74/2015/2239/26-3-2015-10(01)/2013टी.सी.

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,

अनुसचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

जनजाति विकास,

उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 201516 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-121/109/ज.जा.वि./सि.एनीमिया/2015-16, दिनांक-15-07-20155 के क्रम में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में दिये गये निर्देशो के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिये विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपया-2.00 करोड़ के सापेक्ष योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की उपलब्ध धनराशि रूपया-2,79,000/-(रूपया दो लाख उन्यासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर भारत सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर दिनांक-25.07.2015 को सिकिल सेल एनीमिया एवं जल संग्रहण विषय पर आहूत कार्यशाला के प्रबंध पर व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन/ब्यय वित्त (आय-ब्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि की जितनी आवश्यकता होगी उतनी धनराशि का ही आहरण किया जायेगा। अवशेष धनराशि की सूचना/प्रस्ताव यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3)- व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त योजनाओं/मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के लेखाषीर्शक-2225-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे' डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2/2015 बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में दिये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

पृ0संख्या-74/2015/2239(1)/26-3-2015 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)/लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1

4- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2

5- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

7- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।